Sugarcane Arrears to be paid by the Sugar Mills in U.P.

2321. SHRI AKHILESH DAS: Will the Minister of FOOD be pleased to state the number of mills in U.P. who have not paid their dues of sugarcane to farmers with total amount payable by these mills and since when these have not been paid?

THE MINISTER OF FOOD AND MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV): As per the information received from U.P. Government, as on 7.2.1997, 15 sugar mills had not paid their cane price dues relating to the season 1995-96 to the tune of Rs. 40.94 crores and 114 sugar mills had not paid cane price dues relating to the 1996-97 season to the extent of Rs. 733.56 crores.

Proposal to raise the price of Lavy Sugar

2322. SHRI AMAR SINGH: Win the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to raise the price of levy sugar; and

(b) if so, the details thereof and the reasons therefor?

THE MINISTER OF FOOD AND MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV): (a) and (b) The retail issue price of levy sugar has been revised recently from Rs. 9.50 per kg. with effect from 10.2.1997.

विभिन्न राज्यों से गेहूं तथा चावल की आपूर्ति के संबंध में प्राप्त शिकायतें

2323. **श्री ईश दत्त यादव:**
श्री नागमणि:

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों से चावल तथा गेहूं की आपूर्ति के संबंध में जनवरी, 1996 से अब तक कोई शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ख) ये शिकायतें किस प्रकृति की है और सरकार ने इस संबंध में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या सरकार गेहूं की आपूर्ति में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोक नहीं पाई है: और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री देवेन्द्र प्रासद यादव): (क) से (घ) राज्य सरकारों और अन्य भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्नों की अपर्याप्त, उपलब्धता, आपूर्ति किए गए खाद्यान्नों की गुणवत्ता, संबंधित राज्य में खाद्यान्नों का अपर्याप्त संचलन/भेजा जाना, गोदाम बन्द होना और खाद्यान्नों आदि की आपूर्ति में भारतीय खाद्य निगम/राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा किए गए अभिकथित कदाचार से जुड़े भ्रष्टाचार के बारे में कथित रूप से शिकायतें/रिपोर्ट प्राप्त हुई थीं। भारतीय खाद्य निगम के परामर्श से की जाती है और उपयुक्त उत्तर भेजे जाते है। चूंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को क्रियान्वित करने का दायित्व राज्य सरकारों का है अत: इसके संबंध में प्राप्त भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें आवश्यक कार्रवाई हेतु राज्य सरकारों को भेजी जाती है।

जहां तक भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की खुली ब्रिकी से संबंधित शिकायतों का संबंध है। प्राथमिक जांच के बाद भारतीय खाद्य निगम के श्रेणी-I के 8, श्रेणी-2 के 4, श्रेणी-3 के 9 और श्रेणी -4 के 2 कर्मचरियों के प्रति 8 मामलोम में अपराधिक मामलोल /वि-भागीय कार्रवाई शुरू की गई या कर ली गई है। इसके अलावा भारतीय खाद्य निगम के श्रेणी-I के 2 अधिकारियों का स्थानान्तरण गैर-संवेदन पदों पर भी किया गया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राजस्थान के लिये खाद्यान्नों तथा चीनी का कोटा बढ़ाया जाना

2324. **श्री शिव चरण सिंह:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राजस्थान के लिये गेहूं, चावल तथा चीनी का कोटा बढ़ाने हेतु राज्य से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;